



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

15/10/18
15/10/18

पत्र सं० 8वी/यू.पी./08/11/2018/एफ.सी./1110

दिनांक: 12.10.2018

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Other/34211/2018

विषय: कानपुर में उ०प्र० जल निगम द्वारा विधूना कैनल से घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तक पानी ले जाने हेतु एन०एच० 86 के किनारे किमी० 20.800 तक फाईप लाईन डालने हेतु 14.385 हे० संरक्षित वनमृषि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1258 वृक्षों एवं 1428 विक गार्ड पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव, उ० प्र० शासन का पत्रांक-पी159/14-2-2018-800(153)2018, दिनांक-08.10.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयवस्तु प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. Details of alternatives have not been provided details Alternate routes & affected forest areas must be furnished.
2. Requirement of Forest-area is based on cutting of 3.5 mt. wide trench all along the length. It is not clarified whether during excavation adjoining/additional land beyond 3.5 mt. will be damaged/affected or not?
3. Details of CA scheme has not been provided. Detailed scheme with no. of Plants/hectare with updated wage rate must be furnished.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर।
3. जिलाधिकारी, कानपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर, उ० प्र०।
5. परियोजना प्रबन्धक (निर्माण इकाई) उ०प्र० जल निगम घाटमपुर, कानपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 84 / कानपुर / 34211 / 2018, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 17, 2018

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित विन्दुओं की विन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख तीन प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित विन्दुओं की विन्दुवार सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपने मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक(निर्माण इकाई), उ०प्र० जल निगम, घाटमपुर, कानपुर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रभागीय निदेशक, कानपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।